Y-23

दूरभाष : 2355397
फैक्स : 2341178

(015)

आई0 एस0 ओ0-9001-2000

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ

वा0नि0कार्ड प्रथम

पत्रांक 720 वा0नि0-1/ / सहारनपुर/कलायो0 दिनांक 15/3/16

सेवा में,
अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड-32,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
पानी की टंकी व हरि मंदिर के पीछे
विवेकनगर सहारनपुर

विषय:- शाकुंभरी योजना सहारनपुर के सेक्टर 2में प्रस्तावित एफ-70व एफ-45प्रकार के भ
के संबंध में । = = = = = = = = === = = = = = = = = = == = =
= = = = = = /

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि समीक्षा बैठक दिनांक 24-1-2014 में आ
आयुक्त॥म0॥ की सैद्धांतिक सहमति के अनुक्रम में शाकुंभरी योजना सहारनपुर के सेक्टर 2क
भूखण्ड संख्या-जी0एच0-2,3व4 पर एफ-45व एफ-70प्रकार के फ्लैटस जिसकी फिजबिलीटी
आपके पत्रांक-165 दिनांक 9-2-2016 के माध्यम से प्राप्त है, संबंधी मानचित्रों को आव
आयुक्त॥म0॥ द्वारा दिनांक 14-3-2016 को अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

अतः उपरोक्तानुसार संबंधित लेआउटप्लान एवं फ्लैटस्स डिजाईन्स मानचित्रों क
दो-दो प्रतियां आपको सुलभ संदर्भ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय
15/3/1

॥श्यामजतन यादव
वास्तुविद नियो

प0सं0 /उक्त/ दिनांक

प्रतिलिपि:-1- मुख्यवास्तुविद नियोजक/अपर आवासआयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास प
द 104महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित

2- अधीक्षण अभियंता द्वितीय वृत्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद शास्त्री
यो0-7मेरठ को आपकी संस्तुति पत्र दिनांक 15-9-15के संदर्भ में मानचि
की एक-एक प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित

Sri Suresh Singh
AE(D)/ D/M

Training हेतु
EE
N
17-03-16

वास्तुविद नियोजक

श्री ... हेतु प्रस्तुत करें

M-6 27-238
M-6
50
600
12.03.18

IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(अभियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
email:seproject@upavp.in

भारतीय मानक ब्यूरो IS-15700

संख्या 1063 / ए–2 / 497 दिनांक 8-3-2018

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, मेरठ के पत्र सं0–433 / डब्लू0जी0–01 / 45 दि0 06.02.18 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं संस्तुति के आधार पर एतद्द्वारा तकनीकी स्वीकृति निम्नवत् निर्गत की जाती है :–

1–	कार्य का विवरण	शाकुम्भरी विहार योजना, सहारनपुर के सेक्टर–2ए में प्रस्तावित एफ–45 प्रकार के 80 नग (जी+3) भवनों का निर्माण कार्य।
2–	आई0डी0कोड नं0	052086
3–	अ–प्रशासनिक स्वीकृति का संदर्भ	अभियंत्रण अनुभाग का कार्यालय आदेश सं0–0048 / ए–2 / 497 दिनांक 04.01.2018
	ब–कार्य की लागत	रू0 599.63 लाख
4–	तकनीकी स्वीकृति की लागत	रू0 597.36 लाख
5–	लेखा शीर्षक संख्या	133 / 44 (17–18)

प्रतिबन्ध

1– कार्यो का सम्पादन सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित विशिष्टियों के अनुसार कराया जाय। विशेष परिस्थितियों में यदि विशिष्टियों / प्राविधानों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

2– विस्तृत प्राक्कलन में ली गई विभिन्न मदों की दरों एवं मात्राओं के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता का होगा ।

3– तकनीकी स्वीकृति से अधिक धनराशि किसी भी दशा में व्यय न की जाये।

4– कार्य निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रतिबन्ध के अनुसार कराया जाये।

5– उक्त कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में निर्धारित अवधि 18 माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।

6– विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी दरों का आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाये।

7– कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता / विशिष्टियों का परीक्षण प्रयोग करने से पूर्व अवश्य करा लिया जाये।

8– प्रश्नगत परियोजना का सम्बन्धित खण्ड द्वारा रेरा (UPRERA) में पंजीकरण अवश्य करा लिया जाये।

9– सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत डिजाइन प्रस्तावित स्थल की 12.00 टन प्रति वर्ग मी0 मृदा धारकं क्षमता (Safe Bearing Capacity) मानकर की गयी है तथा यह भी अवगत कराया गया है कि भूकम्पीय जोन–4 के सभी प्राविधान परिकल्पना में कर लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते है कि प्रस्तावित स्थल के स्वायल टेस्टिंग कराने के पश्चात प्राप्त सुरक्षित भूमि धारक क्षमता (Safe Bearing Capacity) के आधार पर डिजाइन कराकर सक्षम स्तर से स्वीकृति / वेट कराते हुए प्रस्तावित भवनों का निमार्ण कराया जाये।

7/3/18

o/c (मो0 सलीम अहमद)
मुख्य अभियन्ता

पृ0सं0: 1063 / उक्त / 497 दिनांक 8.3.2018

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।

2– अधीक्षण अभियन्ता(प्रो0) / द्वितीय वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ / मेरठ।

3– अधिशासी अभियन्ता(मु0) / नि0ख0–32, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ / सहारनपुर।

AE(1)/J.E(T)/ Sh. Nav Rattan Singh JE/A.O.

7/3/18
o/c मुख्य अभियन्ता

EE
12.03.18

4

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

संख्या 0048 / ए–2 / 497 दिनांक 4-1-2018

कार्यालय आदेश

अधी0अभि0, द्वितीय वृत्त, मेरठ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आवास आयुक्त(म0) के अनुमोदन दिनांक 14.11.17 के क्रम में निम्नलिखित कार्य की प्रशा0 एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है –

क0सं0	परियोजना आई0डी0नं0	योजना/परियोजना का नाम	परियो0 की लागत (रू0 लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं0
1–	052086	शाकुम्भरी योजना, सहारनपुर के सेक्टर–2ए में प्रस्तावित एफ–45 प्रकार के 80नग (जी+3)भवनों का निर्माण कार्य।	599.63	133/44(17–18)

1– उक्त कार्य परिषद द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।
2– प्रशा.स्वी.से लेकर कार्य पूर्ण होने की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई.डी.नं0के साथ ही संदर्भित किया जायेगा।
3– विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाये।
4– निविदा आदि की कार्यवाही के उपरान्त वास्तविक लागत के अनुसार व्यय की अनुमति अलग से प्राप्त करनी होगी।
5– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय–समय पर परिषद द्वारा निर्गत परिषदादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
6– परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधि.अभि./अधी. अभि. का होगा।
7– परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य प्रशा0एवं वित्तीय स्वी0से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं किया जा रहा है।
8– खण्ड द्वारा लेबरसेस/जी.एस.टी.की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।
9– परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
10– उक्त कार्य प्रशा0 एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त 18 माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
11– निर्माण लागत में आगे कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी तथा कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।
12– उक्त स्वीकृत धनराशि का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षित बजट में किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
13– उक्त कार्य हेतु निविदायें एकल ग्रुप में ई–टेन्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जायेगी।
14– उक्त परियोजना के वित्त पोषण का स्रोत परिषद फण्ड है।

(एस0के0रायतानी)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)

पृ0सं0: 0048 /उक्त /497 दिनांक: 4-1-2018

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव,आवास आयुक्त/अ.आ.आ. एवं सचिव/मुख्य अभि.,उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)/द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/मेरठ।
5. अधिशासी अभियन्ता(नि–1)/निर्माण खण्ड–32, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/सहारनपुर।
6. मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)